पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 271/2016

अनवान :

1. कृष्ण पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी खेड़ी तहसील चोपटा जिला सिरसा (हरियाणा)

- वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

- असल प्रतिवादी

2. अनिल कुमार पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी खेड़ी तहसील चोपटा जिला सिरसा हाल निवास बीड़ भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सुनिल कुमार श्रीचन्द जाति जाट निवासी खेड़ी तहसील चोपटा जिला सिरसा बीड़ भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सावत्री पत्नि श्रीचन्द जाति जाट निवासी खेड़ी तहसील चोपटा जिला सिरसा हाल निवासी बीड़ भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. देवीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी खेड़ी तहसील चोपटा जिला सिरसा।
6. नेकीराम वल्द ख्यालीराम जाति जाट निवासी खेड़ी तहसील चोपटा जिला सिरसा।
7. जयसिंह पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बीड़ भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. करणीसिंह पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बीड़ भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. रणसिंह वल्द जयलाल जाति जाट निवासी बीड़ भादरा जिला हनुमानगढ़।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री लीलाधर अग्रवाल व श्री कृष्ण भारी व वकील प्रतिवादी सं0 2 ता 9 श्री महेश बंसल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित नहीं होने के कारण वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला हनुमानगढ़)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 271/2016

अनवान :

1. कृष्ण पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी खेड़ी तहसील चोपटा जिला सिरसा (हरियाणा)

- वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

- असल प्रतिवादी

2. अनिल कुमार पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी खेड़ी तहसील चोपटा जिला सिरसा हाल निवास बीड़ भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सुनिल कुमार श्रीचन्द जाति जाट निवासी खेड़ी तहसील चोपटा जिला सिरसा बीड़ भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सावत्री पत्नि श्रीचन्द जाति जाट निवासी खेड़ी तहसील चोपटा जिला सिरसा हाल निवासी बीड़ भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. देवीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी खेड़ी तहसील चोपटा जिला सिरसा।
6. नेकीराम वल्द ख्यालीराम जाति जाट निवासी खेड़ी तहसील चोपटा जिला सिरसा।
7. जयसिंह पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बीड़ भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. करणीसिंह पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बीड़ भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. रणसिंह वल्द जयलाल जाति जाट निवासी बीड़ भादरा जिला हनुमानगढ़।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

दावा बाबत : खाता तकसीम

अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री लीलाधर अग्रवाल व

श्री कृष्ण भारी: **वादी**

वकील श्री महेश बंसल : **प्रतिवादी सं0 2 ता 9**

निर्णय **दिनांक :** 17.5.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 3 डीपीएन के वर्तमान खाता सं0 84/88 के मु0नं0 30 के किला नं0 1 ता 25 कुल क्षेत्रफल 6.325 है0 कृषिभूमि में 300 हिस्सा वादी के नाम शामिल खाते में दर्ज है। उक्त भूमि खरीद की हुई भूमि है जिसमें वादी व वादी के भाईयों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी का नाम कृष्ण की बजाय धर्मपाल पुत्र ख्यालीराम दर्ज है। वादी व वादी के भाईयों के नाम कृषि भूमि की जमीन पुराने समय में खरीद की गई है। उस समय वादी की आयु लगभग 10 वर्ष थी तथा वादी को घर में प्यार से कृष्ण के साथ साथ धर्मपाल के नाम से भी बुलाते थे तथा उक्त कृषि भूमि के अलावा अन्य सभी जमीनों में कृष्ण पुत्र ख्यालीराम दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला-हनुमानगढ़

वादी का नाम धर्मपाल दर्ज हो जाने के कारण वादी को सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता व अनेक प्रकार की सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है तथा वादी के पुत्र पुत्रियों के नाम के आगे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में कृष्ण दर्ज है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 पेरोकार राज ने जबाब दावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 ता 9 को तर्क किया गया।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वाद भूमि चक 3 डीपीएन के खाता सं0 84/88 की कृषि भूमि में धर्मपाल पुत्र ख्यालीराम के स्थान पर अपना नाम कृष्ण पुत्र ख्यालीराम जरिये घोषणा करवा पाने का व धर्मपाल नाम कलमजन करवाने का व राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी है ?

   — वादी

2. वादी नाम संशोधन करवाकर रिकार्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी नहीं है ?

   — प्रतिवादी

3. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में कृष्ण कुमार के बयान करवाये गये व पवन कुमार, देवीलाल, दलवीर का शपथ प्रस्तुत करवाया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 3 डीपीएन खात सं0 84/88 सम्वत् 2070–73 प्रदर्श 1, चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 2ए, चित्रप्रति वोटर आईडी कार्ड प्रदर्श 3ए, नाम दुरूस्ती प्रार्थना पत्र प्रदर्श 4 व 9, पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रदर्श 5 व 10, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत खचवाना प्रदर्श 6, शपथ पत्र प्रदर्श 7, चित्रप्रति प्रमाणित नामान्तरकरण रजिस्टर प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि कृषि भूमि वादी व वादी के भाईयों के नाम खरीदशुदा कृषि भूमि है वादी को घर में प्यार से कृष्ण के साथ साथ धर्मपाल के नाम से भी बुलाते थे। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किया जाकर नाम दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी ने 1977 में भूमि क्रय की उस समय वादी ने स्वयं ने बैयनामा तस्दीक करवाया, जिसमें वादी स्वयं ने अपना नाम धर्मपाल लिखवाया जाकर तस्दीक करवाया जिसमें आधार पर ही नामान्तरकरण सं0 61 दर्ज होकर तस्दीक हुआ है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री योग्य नहीं होना बताकर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 3 डीपीएन में खरीदशुदा भूमि में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु वाद पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में दो तनकीयात कायम की गई है। वादी ने कृषि भूमि खरीदशुदा होना व वादी का नाम कृष्ण की बजाय धर्मपाल पुत्र ख्यालीराम दर्ज होना अपने दावा में जाहिर करते हुए राजस्व रिकार्ड में अपना नाम कृष्ण दर्ज करवाया जाना अपना अधिकार बताया है। वहीं प्रतिपक्ष में प्रतिवादी सं0 1 पेरोकार राज ने अपने जबाब में वादी द्वारा 1977 में भूमि क्रय कर उस समय वादी स्वयं द्वारा बैयनामा तस्दीक करवाया जाना व वादी स्वयं द्वारा ही अपना नाम धर्मपाल लिखवाया जाकर तस्दीक करवाया जाना उसी आधार पर ही नामान्तरकरण सं0 61 दर्ज होकर तस्दीक होकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज होने के कथन किये है। हमारे द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत प्रदर्श 1 से 10 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। वादी द्वारा जिस रिकार्ड को दुरूस्त करवान चाहा गया है, वह रिकार्ड इन्द्रजात रजिस्टर्ड बैयनामा

के आधार पर हुआ है। प्रस्तुत प्रदर्शों के अवलोकन से कहीं भी यह साबित नहीं हो पाया है कि कृष्ण कुमार व धर्मपाल दोनों एक की व्यक्ति है। इस प्रकार वादी उक्त दोनों तनकीयात साबित करने में असफल रहा है, इसलिए उक्त दोनों तनकीयात वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में तय की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में दो तनकीयात कायम की गई थी जो कि प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में व वादी के विरूद्ध तय की जा चुकी है।

अत : वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़